भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1744

दिनांक 05 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

अविद्युतीकृत गांव

1744. श्री दीपक अधिकारी (देव)

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में 31.10.2024 तक विद्युतीकरण से वंचित गांवों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) देश में अविद्युतीकृत गांवों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) आदि स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा दिया है, ताकि उन्हें सभी घरों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके।

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में सभी बसे हुए गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों को दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकृत किया गया था। डीडीयूजीजेवाई के दौरान कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था (राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** पर संलग्न है)। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत और उसके बाद सौभाग्य के अंतर्गत, जैसा कि सभी राज्यों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूरा कर लिया गया था। सौभाग्य के तत्वावधान में कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया था (राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** पर संलग्न है)। दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 तक बंद हो चुकी हैं।

भारत सरकार जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की चल रही स्कीम के अंतर्गत, सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को सहायता दे रही है। इसके अलावा, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित सभी चिन्हित घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत आदिवासी घरों को स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के तहत ऑन-ग्रिड विद्युत कनेक्शन के लिए संस्वीकृति दी जा रही है। अब तक, पीएम-जनमन के तहत चिन्हित पीवीटीजी घरों और डीए-जेजीयूए के तहत चिन्हित आदिवासी घरों सहित 9,49,548 घरों के विद्युतीकरण के लिए 4,281 करोड़ रुपये के कार्यों को संस्वीकृति दी गई है (राज्यवार विवरण **अनुबंध-III** पर संलग्न है)। इसके अतिरिक्त, नई सौर विद्युत स्कीम के अंतर्गत 9,863 घरों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण हेतु 49 करोड़ रुपये के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं (राज्यवार विवरण **अनुबंध-IV** पर संलग्न है)।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 1744

अनुबंध-I

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत बसे हुए जनगणना गांवों का राज्य-वार विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1,483
2	असम	2,732
3	बिहार	2,906
4	छत्तीसगढ़	1,078
5	हिमाचल प्रदेश	28
6	जम्मू एवं कश्मीर	129
7	झारखंड	2,583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1,051
13	मिजोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3,281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1,498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	**18,374**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 1744

अनुबंध-II

सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ के बाद से विद्युतीकृत किए गए घर, जिनमें डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घर भी शामिल हैं

क्रम सं.	राज्य का नाम	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	23,26,656
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,92,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	17,30,708
11	कर्नाटक	3,83,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,08,115
16	मेघालय	2,00,240
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुदुचेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	21,27,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
कुल		**2,86,13,424**

***सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषित नहीं**

आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत घरेलू विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपये)	संस्वीकृत घरों की संख्या
क.	**अतिरिक्त घर**		
1	राजस्थान	459	1,90,959
2	मेघालय	436	50,501
3	मिजोरम	80	15,167
4	नागालैंड	70	10,004
5	उत्तर प्रदेश	931	2,51,487
6	आंध्र प्रदेश	49	15,475
7	झारखंड	7	872
8	जम्मू और कश्मीर	77	10,730
9	बिहार	239	35,467
10	असम	786	1,27,111
11	अरुणाचल प्रदेश	47	6,506
12	मणिपुर	214	36,972
13	छत्तीसगढ़	317	63,161
	कुल (क)	**3,712**	**8,14,412**
ख.	**वाइब्रेंट विलेजे कार्यक्रम के तहत**		
1	हिमाचल प्रदेश*	6	-
2	अरुणाचल प्रदेश	20	1,683
3	उत्तराखंड	13	1,154
	कुल (ख)	**39**	**2,837**
ग.	**प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत**		
ग1	**आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत**		
1	आंध्र प्रदेश	89	25,054
2	बिहार	0.28	51
3	छत्तीसगढ़	38	7,077
4	झारखंड	74	12,442
5	मध्य प्रदेश	143	29,290
6	महाराष्ट्र	27	8,556
7	राजस्थान	40	17,633
8	कर्नाटक	4	1,615
9	केरल	1	345
10	तमिलनाडु	30	10,673
11	तेलंगाना	7	3,884
12	त्रिपुरा	62	11,664
13	उत्तराखंड	1	669
14	उत्तर प्रदेश	1	316
	उप योग (ग1)	**516**	**1,29,269**
ग2	**राज्य योजना के तहत**		
1	गुजरात	0	0
2	ओड़ीशा	0	0
3	पश्चिम बंगाल	0	0
	उप योग (ग2)	**0**	**0**
	कुल (ग=ग1+ग2)	**516**	**1,29,269**
घ.	**धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के तहत**		
1	छत्तीसगढ़	12	2,550
2	महाराष्ट्र	2	480
	कुल (घ)	**14**	**3,030**
	महा योग (क+ख+ग+घ)	**4,281**	**9,49,548**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 1744

अनुबंध-IV

नई सौर विद्युत स्कीम के तहत संस्वीकृत ऑफ-ग्रिड सौर आधारित घरेलू विद्युतीकरण

क्रम सं.	**राज्य का नाम**	**विद्युतीकृत गांवों की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	1,675
2	छत्तीसगढ़	1,578
3	झारखंड	2,342
4	कर्नाटक	179
5	मध्य प्रदेश	2,060
6	तेलंगाना	326
7	त्रिपुरा	1,703
कुल		**9,863**

****